

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर

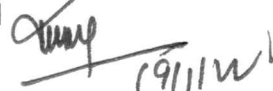
// आदेश //

क्रमांक C/320 /

जबलपुर, दिनांक 20/01 / 2026

श्रीमती इशरत जहाँ, जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को "मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम, भोपाल (MPseDc) द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता एवं प्रमाणन (CPCT) की परीक्षा-2026" में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में अध्ययन नहीं करेंगे तथा शासकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा यदि अपने कर्तव्यस्थल पर अनुपस्थित पाये गये अथवा अध्ययनरत पाये गये तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।


(धरमिन्दर सिंह)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक C/321 /

जबलपुर, दिनांक 20/01 / 2026

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार प्रशा/कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. डिप्टी रजिस्ट्रार(एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (न्या.)(स्था.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. श्रीमती इशरत जहाँ, जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)
B